न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:– श्री भागीरथ साख आर. ए. एस

प्रकरण संख्या:– 109/2017 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट 1956

जमनालाल पिता छोगालाल ओझा ब्राह्मण जाति ओझा ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

..प्रार्थी

बनाम

1. श्री सत्यनारायण पिता कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तहसील कोटडी
2. श्री धन्नाराज पिता माधोराज ओझा जाति ओझा उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तहसील कोटडी
3. श्री लक्ष्मीनारायण पिता केसरमल ओझा जाति ओझा उम्र वयस्क निवासी बड़लियास तहसील कोटडी
4. श्री नन्दा पिता खुराज गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पूर्णा की झोंपड़ियां (बड़लियास) तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
5. श्री लादू पिता गोपी गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पूर्णा की झोंपड़ियां (बड़लियास) तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
6. श्री प्यारा पिता गोपी गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पूर्णा की झोंपड़ियां (बड़लियास) तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
7. श्री भँवर पिता बालु जाट जाति जाट निवासी पूर्णा की झोंपड़ियां (बड़लियास) तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
8. श्री काना पिता मांगु जाट जाति जाट निवासी पूर्णा की झोंपड़ियां (बड़लियास) तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
9. श्री सुरजा पिता मांगु जाट जाति जाट निवासी पूर्णा की झोंपड़ियां (बड़लियास) तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब कोटडी जिला भीलवाडा

...विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–::आदेश::– दिनांक: –10/05/2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 05.04.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बड़लियास पटवार हल्का बड़लियास तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की आराजी संख्या 1408, 1409, 1410, 1412 शा.नं.1411, 1412, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1942, 1946 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातें की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करायें जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संम्बंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है एवं विपक्षीगण बावजूद सुचना के उपस्थित नही हुये है । विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियें जाने के आदेश प्रदत्त कियें जातें हैं एवं संबधित भू. अ. निरीक्षक बड़लियास को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटड़ी के तलब की जावें ।

—::आदेश::—

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के **ग्राम बड़लियास पटवार हल्का बड़लियास तहसील** कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की आराजी संख्या 1408, 1409, 1410, 1412 शा.नं.1411, 1412, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1942, 1946 स्थित पर पत्थरगढ़ी उभयपक्षों को सूचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढ़ी की जावें । प्रार्थीगण इस कार्य के लियें कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटड़ी के निर्देशानुसार राशि 1500/—रूपयें वक्त पत्थरगढ़ी कमिश्नर भू.अ. निरिक्षक को जमा करायेगा । खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी की जाकर पालना करें ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
कोटड़ी जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :—तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
कोटड़ी जिला–भीलवाड़ा